

सिपेट के वेबसाइट www.cipet.gov.in में सिपेट छात्र / संकाय / हितधारक इत्यादि के लिए शिकायत निवारण पोर्टल

भूमिका

शैक्षणिक शिकायत निवारण समिति (AGRC) सिपेट मुख्यालय द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक सिपेट केन्द्रों पर कार्य कर रही है। शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक मामलों के बारे में उनकी शिकायतों को सुनने के लिए कोई भी उनके केंद्र में एजीआरसी से संपर्क कर सकते हैं। समिति व्यक्तिगत और वर्ग स्तर पर और सामान्य हित की शिकायतों का निवारण करती है। इसके अलावा, केन्द्र में उपलब्ध “सुझाव बॉक्स” (Suggestion Box) में किसी के द्वारा की गई और मौखिक शिकायतों का भी निवारण किया जाता है। एजीआरसी द्वारा सभी शिकायतों का जांच किया जाता है। केन्द्र प्रधान दैनिक आधार पर इनको देखते हैं। छात्रों द्वारा सामना किए गए और अन्य शिकायतों से संबंधित विषयों के बारे में चर्चा करने के लिए AGRC हर महीने एक बार बैठक आयोजित करता है। संस्थान आश्वासन देता है कि एक बार शिकायत करने के बाद, इसे गोपनीयता के साथ माना जाएगा।

शिकायत प्रबंधन व्यवस्था केन्द्र में तीन स्तरों पर किया जाता है:

- विभागीय स्तर की शिकायतों के लिए संबंधित कक्षा के छात्र समन्वयक, कर्मचारी परामर्शदाता और विभागाध्यक्ष शामिल होते हैं।
- छात्र समन्वयक और कर्मचारी परामर्शदाता विभागीय स्तर पर शिकायतों को संपर्क करने और सुलझाने के लिए मददकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।
- विभागीय स्तर पर न सुलझे हुए शिकायतों को केन्द्र के एजीआरसी को संदर्भित किया जाता है

छात्रों को रचनात्मक सुझावों और शिकायतों को व्यक्त करने के लिए परिसर में रखे गए “सुझाव बॉक्स” (Suggestion Box) का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

इसके अलावा, शैक्षणिक शिकायत निवारण समिति (AGRP) एआईसीटीई के (AICTE) के दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रों / संकाय / हितधारकों को जांच करने के लिए स्थापित किया गया है। छात्र सिपेट वेबसाइट: www.cipet.gov.in में अपने शिकायतों को निवारण हेतु पोस्ट कर सकते हैं। AGRP मॉनिटरिंग समिति छात्रों / संकाय / हितधारकों की वास्तविक समस्याओं और शिकायतों को दूर करने का प्रयास करता है, समस्या की प्रकृति जिस प्रकार के भी हो।

इसके अलावा महिलाओं और उनकी शिकायतों से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु एक विशेष तंत्र है।

उद्देश्य

- एक वेदी या मंच बनाने हेतु, जहां छात्र / संकाय / हितधारक शैक्षिक और गैर-शैक्षणिक मामलों से संबंधित अपनी समस्याओं को इशारा कर सकें।
- सुधार के लिए छात्रों / संकाय / हितधारकों से सुझाव प्राप्त करना।
- शिकायतों के द्वारा सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाना।

कार्य

- छात्रों / संकाय / हितधारकों से लिखित शिकायत प्राप्त होने पर शीघ्र ही मामलों को पढ़ने हेतु कदम उठाया जाता है।
- समिति औपचारिक रूप से सभी मामलों की समीक्षा करने के लिए बैठक आयोजित करती है, प्राप्त मामलों की संख्या एवं चर्चा किए एवं लंबित मामलों की संख्या के बारे में एक सांख्यिकीय रिपोर्ट तैयार करती है, यदि कोई हो, जिसे उच्च प्राधिकारियों से दिशा निर्देश और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।

कार्यविधि

- छात्रों / संकाय / हितधारकों के लिए शैक्षणिक शिकायत निवारण समिति (एजीआरपी) की स्थापना को व्यापक रूप से प्रकाशित किया जाएगा।
- छात्रों / संकाय / हितधारकों को बेझिझक संलग्न प्रारूप में शिकायत डाल सकते हैं और इसे विशिष्ट स्थानों पर रखे बक्से में छोड़ सकते हैं।
- एजीआरपी पर प्रस्तुत शिकायतों पर गौर करने के लिए समिति उन मामलों पर कार्रवाई करेगी, जिन्हें आवश्यक दस्तावेजों के साथ अग्रेषित किया गया हो।
- AGRP संबंधी समिति केवल उन मामलों को लेगी जिनका समाधान केन्द्रों द्वारा नहीं किया गया हो।

कार्य समिति

पीठासीन अधिकारी: डॉ. के. प्रकलाथन, निदेशक (शैक्षिक)

क्रम

सदस्य

संख्या

1. श्री महेन्द्र सिंह, वरिष्ठ अधिकारी (का. व प्रशा.)
2. श्री एम. नवनीतन, सी एस टी एस प्रभारी

3. संबंधित केन्द्र के केन्द्र प्रधान
4. संबंधित केन्द्र के प्रशिक्षण प्रभारी / छात्रावास प्रभारी (मामले के अनुसार)

अपवर्जनें

शैक्षणिक शिकायत निवारण पोर्टल मॉनिटरिंग समिति निम्न मामलों को नहीं लेगी :

- सिपेट या विश्वविद्यालय द्वारा गठित शैक्षणिक समितियों के निर्णय
- छात्रवृत्ति प्रदान करने, शुल्क रियायत, पदक इत्यादि के संबंध में निर्णय
- अनुशासनात्मक मामलों और दुर्व्यवहार के संबंध में सिपेट द्वारा किए गए निर्णय
- संस्थान द्वारा प्रदान किए गए किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश संबंधी सिपेट का निर्णय
- मूल्यांकन और परीक्षा परिणाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय
- संकाय को नियुक्त करने के संबंध में सिपेट का निर्णय

छात्र या व्यक्ति जो किसी भी शिकायत को प्रारंभ करने के लिए तैयार हैं, वे अपनी शिकायत के निवारण के लिए सिपेट वेबसाइट: www.cipet.gov.in में छात्र शिकायत निवारण पोर्टल पर अपना प्रस्तुतीकरण भेजेंगे।

कृपया ध्यान दें :

- शिकायत के प्रभावी समाधान के लिए शिकायतकर्ता की पहचान अनिवार्य है। यह आश्वासन दिया जाता है कि गोपनीयता को अनुरक्षित की जाएगी।
- छात्रों / संकाय / हितधारकों को दृढ़ सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र राहत के लिए पहले केन्द्र स्तर पर अपनी शिकायतों का निवारण करें। केवल अगर समस्या बनी रहती है और केन्द्र द्वारा नहीं देखा हो / समाधान नहीं दिया हो, तो वे इस पोर्टल पर शिकायत भेज सकते हैं।
- शिकायतकर्ता जो (क) उपद्रवी इरादे के साथ झूठी शिकायतें प्रस्तुत करें या (ख) झूठ के आधार पर किए गए शिकायतों को गंभीर रूप से निपटाया जाएगा।